(भारत के राजपत्र के भाग-I, खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) का कार्यालय

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक : 11 अक्तूबर, 2019

अधिसूचना

सं.1(834)/सीडीडी/दिशानिर्देश/2018 - केंद्र सरकार ने सूक्ष्म तथा लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के संशोधित दिशानिर्देशों को अनुमोदन प्रदान किया है जिन्हें 14वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा। इस स्कीम का उद्देश्य निम्नलिखित जैसी पहलों के जरिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पादकता में वृद्धि करना है:

(i) सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी): इस घटक के अंतर्गत भौतिक "परिसम्पतियों" जैसे सामान्य निर्माण/प्रसंस्करण केंद्र (उत्पादन श्रृंखला को संतुलित करने/उसमें संशोधन करने/उसमें सुधार लाने के लिए जिसे अलग-अलग इकाइयों द्वारा शुरू नहीं किया जा सकता है), डिजाइन केंद्र, परीक्षण सुविधाओं, प्रशिक्षण केंद्र, अनुसंधान एवं विकास केंद्र, एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट, विपणन डिस्प्ले/विक्रय केंद्र, सामान्य लॉजेस्टिक केंद्र, सामान्य रॉ मेटेरियल बैंक/विक्रय डिपो, प्लग एंड प्ले सुविधा, विपणन प्रणालियों को सहयोग प्रदान करने वाली सुविधाएं, सामुहिक भौगोलिक सूचकांक (जीआई), सामान्य उत्पादन तथा उत्पाद मानकों का विकास, नए उत्पाद डिजाइनों का विकास, कामगारों के लिए बेहतर स्वास्थ्यप्रद तथा कार्यशील स्थितियों की बेहतर प्रणालियों, क्लस्टर की उच्च समग्र उत्पादकता तथा उपयोगिता क्षमता के लिए प्रणालियां, क्लस्टर के कौशल उन्नयन के लिए प्रणालियों तथा क्लस्टर में उद्यमों के विविधतापूर्ण कार्यकलापों स्टार्ट-अप को समर्थन प्रदान करना आदि शामिल होंगे। भारत सरकार के अनुदान को अधिकतम 20 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के 70 प्रतिशत तक सीमित रखा जाएगा। पूर्वोत्तर तथा पहाड़ी राज्यों, द्वीप समूह क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों/चरम वामपंथ प्रभावित जिलों, 50 प्रतिशत से अधिक (क) सूक्ष्म/ग्रामीण, (ख) महिलाओं के स्वामित्व, (ग) अ.जा./अ.ज.जा. इकाइयों वाले क्लस्टरों में सीएफसी के लिए भारत सरकार का अनुदान 90 प्रतिशत होगा।

(ii) अवसंरचना विकास : इस घटक में भूमि का विकास, जलापूर्ति, पानी की निकासी, बिजली का वितरण, सामान्य कैप्टिव प्रयोग, सड़कों के निर्माण के लिए ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोतों, प्राथमिक उपचार केंद्र, कैंटीन, नए औद्योगिक (बहु-उत्पाद) क्षेत्रों/इस्टेटों अथवा मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों/इस्टेटों/क्लस्टरों में किसी भी प्रकार की आवश्यकता आधारित अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं जैसी सामान्य सुविधाओं को शामिल किया जाएगा। इस घटक के अंतर्गत फ्लैटेड युक्त फैक्ट्री परिसरों के निर्माण का कार्य भी शुरू किया जा सकता है। भारत सरकार का अनुदान परियोजना की लागत के 60 प्रतिशत (औद्योगिक इस्टेट के लिए 10.00 करोड़ रुपए तथा फ्लैट युक्त फैक्ट्री परिसर के लिए 15.00 करोड़ रुपए) तक सीमित होगा। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों, द्वीप समूह क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों/चरम वामपंथ प्रभावित जिलों, औद्योगिक क्षेत्रों/इस्टेटों/50 प्रतिशत से अधिक (क) सूक्ष्म/ग्रामीण, (ख) महिलाओं के स्वामित्व, (ग) अ.जा./अ.ज.जा. इकाइयों वाले फ्लैटेड युक्त फैक्ट्री परिसर में परियोजनाओं के लिए भारत सरकार का अनुदान 80 प्रतिशत होगा।

(iii) संघों द्वारा विपणन हब/प्रदर्शनी केंद्र : इस घटक के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के उत्पादों के डिस्प्ले तथा उनकी बिक्री के लिए केंद्रीय स्थानों पर विपणन हबों/प्रदर्शनी केंद्रों की स्थापना करने के लिए संघों को भारत सरकार की सहायता प्रदान की जाएगी। भारत सरकार का अनुदान एनएबीईटी (क्यूसीआई) से गोल्ड श्रेणी की बीएमओ रेटिंग तथा उससे ऊपर की रेटिंग के साथ उत्पाद विशिष्ट संघों के लिए अधिकतम 10.00 करोड़ रुपए की परियोजना की 60 प्रतिशत लागत तक सीमित होगा तथा यह अनुदान महिला उद्यमियों के संघों के लिए 80 प्रतिशत तक सीमित होगा। शेष परियोजना लागत का वहन एसपीवी/राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। भारत सरकार का अंशदान भवन निर्माण, साज-सज्जा, फर्नीचर, फिटिंग्स, स्थायी डिस्प्ले की वाले उपकरणों, विविध परिसंपत्तियों जैसे जेनरेटर आदि के लिए होगा।

जारी.....

(iv) थिमेटिक इन्टर्वेंशन : इस घटक में निम्न्लिखित कार्यकलापों के लिए अनुमोदित/पूरित सीएफसी में थीमेटिक इंटरवेंशन के लिए भारतसरकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी:

(क) प्रशिक्षण कार्यक्रम।
(ख) एक्सपोजर विजिट।
(ग) सेवा प्रदाताओं के पैनल के माध्यम से व्यवसायिक विकास सेवा (बीडीएस) के प्रावधान को सशक्त बनाना।
(घ) कलस्टर मोड में बिजनेस इको-सिस्टम के से संबंधित कोई अन्य गतिविधि।

भारत सरकार का अनुदान का अधिकतम 5 गतिविधियों की कुल लागत का 50 प्रतिशत जो 2.00 लाख प्रत्येक गतिविधि के लिए 2.00 लाख रूपए से ज्यादा न हो, तक सीमित किया जाएगा। इस प्रकार की प्रत्येक सीएफसी के लिए इस घटक के तहत भारत सरकार का अधिकतम अनुदान 10.00 लाख रूपए रहेगा। शेष लागत एसवीपी/राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

(v) राज्य नवोन्मेष कलस्टर विकास कार्यक्रम को सहायता: यह घटक राज्य कलस्टर विकास कार्यक्रम को बराबरी के आधार पर सीएफसी परियोजनाओं को सह-निधि प्रदान करेगा। भारत सरकार की निधि राज्य सरकार के अंश अथवा 5.00 करोड़ रूपए जो भी कम हो तक सीमित रहेगी। पूर्वोतर/पर्वतीय राज्यों, द्वीप क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों/एलडब्ल्यूईप्रभावित जिलों, साथ ही साथ ऐसी परियोजनाएं जहां लाभार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं के स्वामित्व वाले सीएफसी से हैं वहां परियोजनाओं भारत सरकार में राज्य कलस्टर विकास कार्यक्रम की योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार 90 प्रतिशत की सहायता भारत सरकार करेगी जोकि 5.00 करोड़ रूपए से अधिक नहीं होगी।

2. एमएसई-सीडीपी के संशोधित दिशानिर्देश विकास आयुक्त(एमएसएमई) के कार्यालय की वेबसाइट अर्थात http://www.dcmsme.gov.in/schemes/New-Guidelines.pdf पर उपलब्ध है।

पीयूष श्रीवास्तव

(पीयूष श्रीवास्तव)
अपर विकास आयुक्त

प्रबंधक,
भारत सरकार प्रैस
(भारत सरकार प्रैस), मिंटो रोड, नई दिल्ली

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. सचिव, व्यय विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
2. निति आयोग, (पीएएमडी, वीएसई)
3. एसएस एण्ड एफए, आईएफ विंग (वित्त I),एमएसएमई मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली
4. मुख्य सचिव (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)
5. एमएसई-सीडीपी की संचालन समिति के सदस्य
6. आयुक्त/निदेशक उद्योग (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)
7. मुख्य लेखा नियंत्रक, एमएसएमई मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली
8. विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय का बजट और लेखा अनुभाग
9. सभी निदेशक, एमएसएमई-डीआई/ निदेशक, एमएसएमई परीक्षण केंद्र/ सभी शाखा एमएसएमई-डीआई/एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र
10. मानक सूची के अनुसार विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय में आंतरिक प्रचालन के लिए।

पीयूष श्रीवास्तव

(पीयूष श्रीवास्तव)
अपर विकास आयुक्त

(To be published in the Gazette of India, Part-I, Section I)
Government of India
Office of the Development Commissioner (Micro, Small & Medium Enterprises)
Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated 11th October, 2019

NOTIFICATION

No.1(834)/CDD/Guidelines/2018 - The Central Government has approved Revised Guidelines of Micro and Small Enterprises Cluster Development Programme (MSE-CDP), which will be implemented during 14th Finance Commission Period. The scheme aims at enhancing the competitiveness and productivity of Micro & Small Enterprises by undertaking Interventions such as:

(i) **Common Facility Centers (CFCs)**: This component would cover creation of tangible "assets" like Common Production / Processing Centre (for balancing / correcting / improving production line that cannot be undertaken by individual units), Design Centres, Testing Facilities, Training Centre, R&D Centres, Effluent Treatment Plant, Marketing Display / Selling Centre, Common Logistics Centre, Common Raw Material Bank / Sales Depot, Plug & Play facility, facilities that can support marketing systems, collective Geographical Indications (GI), development of common production & product standards, development of new product designs, improved systems for better hygiene & working conditions for workers, systems for higher overall productivity & capacity utilization of the cluster, systems for skill upgradation of the cluster, as well as supporting diversification activities of enterprises and startups in the cluster, etc. The GoI grant will be restricted to 70% of the cost of Project of maximum Rs.20.00 crore. GoI grant will be 90% for CFCs in NE & Hill States, Island territories, Aspirational Districts / LWE affected Districts, Clusters with more than 50% (a) micro/ village, (b) women owned, (c) SC/ST units.

(ii) **Infrastructure Development:** This component would cover development of land, provision of water supply, drainage, power distribution, non-conventional sources of energy for common captive use, construction of roads, common facilities such as first aid centre, canteen, any other need based infrastructural facilities in new industrial (multi-product) areas / estates or existing Industrial Areas/Estates/Clusters. Development of Flatted Factory Complexes can also be undertaken under this component. The GoI grant will be restricted to 60% of the cost of Project (Rs.10.00 crore for Industrial Estate & Rs.15.00 crore for Flatted Factory Complex). GoI grant will be 80% for Projects in NE & Hilly States, Island territories, Aspirational Districts / LWE affected Districts, industrial areas / estates / Flatted Factory Complex with more than 50% (a) micro/ village, (b) women owned, (c) SC/ST units.

(iii) **Marketing Hubs / Exhibition Centres by Associations:** Under this component, GoI assistance will be provided to Associations for establishing Marketing Hubs / Exhibition Centres at central places for display and sale of products of Micro and Small Enterprises. The GoI grant will be restricted to 60% of the cost of Project of maximum Rs.10.00 crore for Product Specific Associations with BMO rating of Gold Category and above from NABET (QCI) and 80% for Associations of Women Entrepreneurs. Remaining project cost is to be borne by SPV / State Government. The GoI contribution will be towards construction of building, furnishings, furniture, fittings, items of permanent display, miscellaneous assets like generators, etc.

Contd...

(iv) **Thematic Interventions:** This component would provide GoI financial assistance for implementation of Thematic Interventions in approved/completed CFCs for following activities:

(a) Training Programmes.
(b) Exposure Visits.
(c) Strengthening the Business Development Service (BDS) provision through a panel of service providers.
(d) Any other activity related to creating business eco-system in cluster mode.

The GoI grant will be restricted to 50% of total cost of maximum 5 activities not exceeding Rs.2.00 lakh for each activity. As such the maximum GoI grant under this component for each CFC would be Rs.10.00 lakh. Remaining cost would be borne by SPV/State Government.

(v) **Support to State Innovative Cluster Development Programme**: This component would provide co-funding of the CFC projects of State Cluster Development Programme on matching share basis. The GoI fund would be limited to State Government share or Rs.5.00 crore whichever is lower. The GoI assistance would be 90% of project cost not exceeding Rs.5.00 crore in respect of CFC projects in North East / Hilly States, Island territories, Aspirational Districts/LWE affected Districts, as well as for projects where beneficiaries are SC/ST/Women owned enterprises, as per the scheme guidelines of State Cluster Development Programme.

2. The revised guidelines of MSE-CDP are available on the website of the office of DC (MSME) i.e. http://www.dcmsme.gov.in/schemes/New-Guidelines.pdf

(Piyush Srivastava)
Additional Development Commissioner

The Manager,
Government of India Press
(Bharat Sarkar Press), Minto Road, New Delhi

Copy for information to:

1. Secretary, Department of Expenditure, North Block, New Delhi
2. NITI Aayog, (PAMD, VSE)
3. SS&FA, IF Wing (Fin I), Ministry of MSME, Udyog Bhawan, New Delhi
4. Chief Secretary (States / UTs)
5. Members of the Steering Committee of MSE-CDP
6. Commissioner / Director of Industries (States / UTs)
7. Chief Controller of Accounts, Ministry of, Udyog Bhawan, New Delhi
8. Budget & Accounts Section, Office of DC (MSME)
9. All Directors, MSME-DIs / Directors, MSME Testing Centres / All Branch MSME-DIs/MSME Technology Centres
10. Internal Circulation in the Office of DC (MSME) as per standard list.

(Piyush Srivastava)
Additional Development Commissioner